



Neutral Citation No. - 2026:AHC:167526

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 27842 वर्ष 2026

मौटू

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिपक्षी

---

आवेदक के अधिवक्तागण : रवितेंद्र प्रताप सिंह चंदेल, शुभम सिंह

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता : जी.ए.

---

**न्यायालय संख्या - 65**

**माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन**

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री रवितेंद्र प्रताप सिंह तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री शत्रुघ्न यादव को सुना गया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक की ओर से वाद अपराध संख्या 99 वर्ष 2026, धारा 103(1), 333, 61(2) एवं 3(5) बी.एन.एस., थाना इंचौली, जनपद मेरठ में विचारण लंबित रहने के दौरान उसे जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।

*“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”*



3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक का नाम नहीं था और प्रथम सूचना रिपोर्ट पांच अभियुक्तों के विरुद्ध दर्ज की गई थी तथा उसके अनुसार नामजद सह-अभियुक्त महेश, रोहित, नीशू एवं शुभम ने आग्नेयास्त्र से चोटें पहुंचाकर सूचनादाता के पुत्र की हत्या की।
4. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि विवेचना के दौरान नामजद अभियुक्तों को विवेचक द्वारा आरोपमुक्त कर दिया गया और गुलशन को इस आधार पर अभियुक्त बनाया गया कि उसके मृतक की पत्नी के साथ अवैध संबंध थे और जब उसे गिरफ्तार किया गया, तब उसने आवेदक का नाम बताया।
5. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि यद्यपि अभियोजन के अनुसार आवेदक के सी.डी.आर. से यह भी परिलक्षित होता है कि घटना के समय आवेदक की लोकेशन उसी गांव में थी, जहां घटना घटित हुई, किंतु उपर्युक्त साक्ष्य एवं पुलिस के समक्ष आवेदक के इकबालिया बयान के अतिरिक्त अभिलेख पर आवेदक के विरुद्ध कोई अन्य साक्ष्य नहीं है।
6. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि केवल उपर्युक्त साक्ष्य के आधार पर प्रथम दृष्टया इस स्तर पर यह नहीं कहा जा सकता कि आवेदक ने मृतक की हत्या की।
7. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला है और यह स्वीकार किया गया है कि मृतक की हत्या करने के लिए आवेदक का कोई प्रत्यक्ष उद्देश्य नहीं था।

*“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”*



8. उन्होंने आगे तर्क दिया कि आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वह दिनांक 04.04.2026 से जेल में निरुद्ध है, अर्थात् पिछले चार माह से अधिक समय से।
9. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने यद्यपि जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, किंतु आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तथ्यों के संबंध में प्रस्तुत अन्य तर्कों का खंडन नहीं कर सके।
10. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा मामले के अभिलेख का परिशीलन किया।
11. यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला है और प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक का नाम नहीं था। इससे परिलक्षित होता है कि विवेचना के दौरान नामजद सह-अभियुक्त गुलशन के बयान के माध्यम से उसे वर्तमान मामले में अभियुक्त बनाया गया है।
12. आगे, अभियोजन के अनुसार, उपर्युक्त साक्ष्य के अतिरिक्त, जब आवेदक के सी.डी.आर. की जांच की गई, तो यह पाया गया कि उसकी लोकेशन उसी गांव में थी, जहां घटना घटित हुई थी।
13. इससे परिलक्षित होता है कि उपर्युक्त साक्ष्य एवं पुलिस के समक्ष आवेदक के इकबालिया बयान के अतिरिक्त अभिलेख पर आवेदक के विरुद्ध कोई अन्य साक्ष्य नहीं है।
14. यह न्यायालय आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत इस तर्क में बल पाता है कि केवल उपर्युक्त साक्ष्य के आधार पर प्रथम दृष्टया यह नहीं कहा जा सकता कि आवेदक ने मृतक की हत्या की।
15. आगे, यह भी स्वीकार किया गया है कि मृतक की हत्या करने के लिए आवेदक का कोई प्रत्यक्ष उद्देश्य नहीं था।

*“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”*



16. आगे, आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वह दिनांक 04.04.2026 से जेल में निरुद्ध है, अर्थात् पिछले चार माह से अधिक समय से।

17. अतः, ऊपर चर्चा किए गए मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरे विचार में आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।

18. तदनुसार, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

19. आवेदक-मॉटू को उपर्युक्त मामले में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान न की गई हो।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को ऐसा कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, जिससे उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख किया जा सके अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(iii) आवेदक किसी भी आपराधिक एवं समाज-विरोधी गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।

20. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में अभियोजन को इस न्यायालय के समक्ष आवेदक की जमानत निरस्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

*“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”*



21. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निस्तारण के संबंध में पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(न्यायमूर्ति समीर जैन)

11 अगस्त, 2026

एस.के.एम.

*“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”*